

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

1341
2013-14
9013-14

आदेश पत्रक नं० 1341

तारीख 10.10.13 से 15.10.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल:- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार दारखील थारिया
एवं वर्ष 13-14

| आदेश की सं० | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित |
|-------------|--|---|
| 10.10.13 | <p>श्री/श्रीमति सुनिता देवी</p> <p>पति श्री शशोक कुमार शर्मा ग्राम मोरियापुर बेहना</p> <p>थाना बाढ़ जिला पटना अंचल बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वस्त्रीशानामा बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 04.10.13 को उपस्थापित करे।</p> <p>जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम/थानानं० बेहना खाता नं० 489</p> <p>खेसरा 70 486</p> <p>रकबा 03.125 बी.</p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़</p> | |
| 04.10.13 | <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p> | |

यदि यह होता है कि प्रतिवेदन जनान विक्री पत्र/समपत्र/पच्छीतनामा
बैंटनामा/विश्विद्या/उत्तरसमिकान द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपास्त आगंत्रण हंगु केता विकेता एवं आब
बहाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अधिलेख दिनांक 10/10/13
को समाप्त करें।

अचल अधिकारी
वाह
2/11/13

10/10/13 तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।
तामिला का उपरोक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपास्त इत नही किया गया। अधिलेख दिनांक 15/10/13
को समाप्त करें।

अचल अधिकारी
वाह
2/11/13

5/10/13 इतका कर्मचारी/अचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर
राजसल मधुली हित में शतात प्रभावित नही करते हुए नामान्तरण की
स्वीकृति दी जाती है।

शान्त पत्र निर्गत करें।

अचल अधिकारी
वाह
2/11/13